

समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 79/2016-17 (रेलवे) ~~1200~~ /भूअ0 गोड्डा दिनांक :- 11/10/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा- महुआरा सीट नं0-1, थाना नं0- 575, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना गोड्डा से पीरपैती नई बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई ए.एम.सी.एस. प्राइवेट लिमिटेड, राँची सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- महुआरा सीट नं0-1, थाना नं0- 575, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा, में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 5.214 एकड़ यानि हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						0.0335	अब्दुल्ला मंसुरी, पिता- सकुल मंसुरी, ग्राम- महुआरा				
2						0.00335	शोभानी मंसुरी, पिता- स्व0 रजक मंसुरी, ग्राम- महुआरा				
3						0.00335	मो0 फेकनी, पिता- रज्जाक मंसुरी				
4						0.00223	जहीर मंसुरी, पिता- कौशर मंसुरी, ग्राम- महुआरा				
5	6	12	निजी	धानी III	0.067	0.00223	ताहीर मंसुरी, पिता- कौशर मंसुरी, ग्राम- महुआरा	44	15	15	अंश 12
6						0.00224	अमीर मंसुरी, पिता- कौशर मंसुरी, ग्राम- महुआरा				
7						0.00335	सत्तार मंसुरी, पिता- नसीर मंसुरी, ग्राम- महुआरा				
8						0.00335	जलार मंसुरी, पिता- नसीर अंसारी				
9						0.00223	जाकीर मंसुरी, पिता- रसुल अंसारी				

10						0.00223	जफीर मंसुरी, पिता- रसुल मंसुरी						
11						0.00224	मुन्ना मंसुरी, पिता- रसुल मंसुरी						
12						0.0067	इमामन मंसुरी, पिता- सैरु गदाफ						
13						0.081	गेनु राणा, पिता- इसर राणा						
14						0.081	काग्रेस राणा, पिता- इसर राणा						
15						0.054	मो0 बकीया, पिता- स्व0 सागीरत राणा						
16						0.054	मो0 मोनिका देवी, पिता- स्व0 परशुराम राणा						
17						0.054	सोगीन्दर राणा, पिता-स्व0 परमेश्वर राणा						
18						0.0806	झरनी देवी, पिता- स्व0 भागीरथ राणा						
19						0.0807	प्रेमलता देवी, पिता- नागेश्वर राणा						
20						0.0108	गिरपत राणा, पिता- स्व0 फोदारी राणा						
21						0.0108	पैरु राणा, पिता- स्व0 फोदारी राणा						
22						0.0108	ग्रीस राणा, पिता- स्व0 फौदारी राणा						
23	26	49	निजी	धानी II	0.967	0.0321	बासमती देवी, पिता- स्व0 टनकु राणा	51	54	50	52	57	
24						0.0321	सतन राणा, पिता- स्व0 रामेश्वर राणा						
25						0.0321	मो0 मनोरमा, पिता- स्व0 पटवारी राणा						
26						0.0321	सुरो राणा, पिता- स्व0 खिरो राणा						
27						0.0321	पांडु राणा, पिता- स्व0 खिरो राणा						
28						0.048	अनिल राणा, पिता- स्व0 भुट्ट राणा						
29						0.048	रामलाल राणा, पिता- स्व0 भुट्ट राणा						
30						0.02415	मो0 रूपनी, पिता- धरमु राणा						
31						0.02415	गुही राणा, पिता- स्व0 लेट्ट राणा						
32						0.02415	दिलमन राणा, पिता- स्व0 लेट्ट राणा						
33						0.02415	भौरो राणा, पिता- लेट्ट राणा						

34						0.0481	योगेन्द्र राणा, पिता- स्व0 विजय राणा					
35						0.0481	रोहीत राणा, पिता-स्व0 विजय राणा					
36						0.04525	जिछु यादव, पिता- स्व0 एतवारी गोप					
37	39	50	निजी	धानी II	0.181	0.04525	मो0 सैया देवी, पिता- स्व0 रधु गोप	49	52	अंश 50	49	
38						0.04525	सोनथी देवी, पिता- स्व0 बोगी गोप					
39						0.04525	उर्मिला देवी, पिता- बैजु गोप					
40		15	निजी	धानी II	1.137			12 44	181	18 17 16	13	
41	51	44	निजी	धानी II	2.218	3.999	कामत मालिकान	अंश 44 अंश 44	अंश 44, 43, 19, 18	44, 43, 54	अंश 44	
42		54	निजी	धानी II	0.644			43	43	अंश 54	43	
					कुल :-	5.214	5.214					

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा- 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा और उनके कर्मचारी- कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा- 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।


उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1200 / भू0अ0 दिनांक :- 11/10/18 ।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे । साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।


उपायुक्त,
गोड्डा ।

ज्ञापांक 1200 / भू0अ0 दिनांक :- 11/10/18 ।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा/अधियाची पदाधिकारी, उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे ।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ।


उपायुक्त,
गोड्डा ।

ज्ञापांक 1200 / भू0अ0 दिनांक :- 11/10/18 ।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


उपायुक्त,
गोड्डा ।